

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013-राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रासद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु कुल ₹699.06 लाख (रूपये छः करोड़ निनान्चे लाख छः हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु कुल ₹699.06 लाख (रूपये छः करोड़ निनान्चे लाख छः हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

I. प्रमण्डल का नाम :- बराज प्रमण्डल, गालूडीह

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)
i.	जिला-पूर्वी सिंहभूम, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, ग्राम-गुहियापाला में सुवर्णरेखा नदी के बाँये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	₹ 512.79
ii.	जिला-पूर्वी सिंहभूम, प्रखण्ड-बहरागोड़ा, अन्तर्गत ग्राम-बामडोल -महुलडुंगरी में सुवर्णरेखा नदी के बाँये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में Anti Flood Sluice Gate का निर्माण कार्य	₹ 186.27
		कुल ₹ 699.06

3. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण कराया जायेगा।

4. इस कार्य पर होनेवाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. कंडिका-2 में अंकित कार्य बराज प्रमण्डल, गालूडीह द्वारा कराया जायेगा एवं कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चाण्डिल कम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस कार्य के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंध है।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त है।

11. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013-राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013-राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/763/2013-राँची, दिनांक 10.05.2018

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चाण्डिल कम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/05/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

10/05/18